न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी मनस्वी नरेश आर.ए.एस.

दावा संख्या :: 51/2020

1. बरदीचंद पिता मुतबन्ना खुमा जी गंवार निवासी सुवानियॉ तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1. अर्जुन पिता दीपा जी जाति गंवार निवासी सुवानिया तहसील बेगूँ
2. तहसीलदार सा: भूमिधारी तहसील कार्यालय, बेगूँ जिला चितौडगढ
प्रतिवादीगण

उपस्थित :: श्री के.सी.मंत्री
अधिवक्ता वादी

निर्णय दिनांक :– 28.11.2024

निर्णय वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री मंत्री द्वारा वाद पत्र अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत करते हुए निवेदन किया कि मौजा सुवानियां प0ह0 सुवानियॉ की वर्तमान तौनी सम्वत 2072–75 खाता संख्या 2 में आराजी संख्या 267 रकबा 0.6600 हैक्टर भूमि जरिये नामान्तरण संख्या 489 से वादी हिस्सा 2/3 एवं प्रतिवादी संख्या 1 हिस्सा 1/3 अनुसार दर्ज रेकार्ड हो अंकित है। वर्णित आराजी में चवादी का हिस्सा 2/3 होकर इसी अनुसार वादी के कब्जे काश्त एवं उपयोग उपभोग में है।

यह कि वादी एवं प्रतिवादी सं. 1 के मध्य भूमि संयुक्त खातेदारी की होने से फसल बोने, काटने एवं पैदावार प्राप्त करते समय मनमुटाव एवं विवाद होता रहता है जिससे वादी ने दिनांक 12.05.2020 को प्रतिवादी सं0 1 को तहसील कार्यालय में चलकर बंटवाडा कराने हेतु कहा तो उन्होने मना कर दिया जिससे वादी को यह वाद वास्ते बंटवाडा प्रस्तुत करने की आवश्यकता हुई। उक्त वर्णित मौजा सुवानियां की आराजी संख्या 267 रकबा 0.66 हैक्टर भूमि में अपना निहित हिस्सा 2/3 को जरिये विभाजन पृथक करा स्वतंत्र खातेदारी में दर्ज कराने का पूर्ण अधिकारी है एवं इसी हेतु मिट्स एवं बाउंड्स में अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी का राजस्व रेकार्ड में दर्ज हिस्सानुसार बंटवाडा कियके जाने हेतु वाद प्रस्तुत है।

यह कि वाद वर्णित आराजी न्यायालय श्रीमान के क्षैत्राधिकार में स्थित होने से वाद श्रवणाधिकार श्रीमान को प्राप्त है। वाद कारण दिनांक 12.05.2020 को प्रतिवादी सं0 1 द्वारा आपसी सहमति से विभाजन किये जाने से इंकार किये जाने से उत्पन्न होकर हर रोज वर्तमान है। प्रतिवादी संख्या 2 भूमिधारी होकर विभाजन के वाद में आवश्यक पक्षकार होने से वाद में पक्षकार बनाये गये है।

वादी न्यायालय श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है:–

अ– कि पक्ष वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण वाद पत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित मौजा सुवानियॉ पटवार हल्का सुवानिया तहसील बेगूँ की आराजी संख्या 267 रकबा 0.6600 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 2/3 जरिये विभाजन पृथक करा राजस्व रेकार्ड में स्वतंत्र रूप से दर्ज किये जाने की आज्ञप्ति प्रदान की जावें।

ब– अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रदान कराया जावें।

वादी का वाद पत्र न्यायालय में प्रस्तुत होने पर बाद जॉच दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी सं. 1 बावजूद सूचना न्यायालय में हाजिर नहीं आने से उनके विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये तथा प्रकरण में प्रतिवादी सं0 2 भूमिधारी फोर्मल पक्षकार होने से उनका जवाब प्राप्त नहीं किया गया । प्रकरण में एक तरफा साक्ष्य वादी में साक्ष्य हेतु शपथ पत्र वादी बरदीचंद पिता मु0 खमा गंवार का प्रस्तुत किया जाकर पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेज को प्रदर्श कराया गया।

पत्रावली में वादी की एक तरफा साक्ष्य पूर्ण होने उपरान्त अधिवक्ता वादी की एक तरफा बहस को सुना गया जिन्होने वाद पत्र अनुसार अपनी बहस निवेदन करते हुए वर्णित आराजी में वादी का हिस्सा अनुसार विभाजन करा खाता पृथक कराये जाने का निवेदन किया। पत्रावली में अधिवक्ता वादी की बहस को सुने जाने के पश्चात पत्रावली में प्रस्तुत नकल जमाबंदी प्रदर्श–1 का अवलोकन

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगूँ (चित्तौड़गढ़)

गया जिसमें पाया कि नामा.सं. 489 दिनांक 19.05.2017 द्वारा डिक्री से आराजी सं. 261 श्री बरदीचन्द्र मु. खुमा 1/3 अर्जुन पिता दीपा गंवार 2/3 अंकित किये जाने का नोट अंकित है। साथ ही आराजी संख्या 267 रकबा 0.66 श्री बरदीचन्द्र मु. खुमा 2/3, अर्जुन पिता दीपा 1/3 गंवार सा0देह अंति करने की स्वीकृति हुई है। नक्शाट्रेस आराजी प्रदर्श–2 है। वादी वाद वर्णित आराजी संख्या 267 में अपना हिस्सा 2/3 को प्रतिवादी सं. 1 से पृथक कराने हेतु विभाजन चाहते है। रेकार्ड के अनुसार वादी का वाद स्वीकार किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अ.धा. 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाता है दावा प्राथमिक डिक्री किया जाता है। मौजा सुवानियॉ प0ह0 सुवानियॉ की आराजी संख्या 267 रकबा 0.66 हैक्टर भूमि में वादी का हिस्सा 2/3 एवं शेष हिस्सा जमाबंदी अनुसार प्रतिवादीसं0 1 का रखते हुए आराजी का मिट्स एण्ड बाउण्ड्स अनुसार अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी के आधार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार, बेगूॅ को 1000/–रूपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। तहसीलदार, बेगूॅ को निर्देशित किया जाता है कि वह वर्णित आराजी का विभाजन प्रस्ताव तैयार कर दो प्रति में मय नक्शाट्रेस के साथ न्यायालय में भिजवावें।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूॅ के पत्र कमांक/2539 दिनांक 25.09.2024 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी की एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा सुवाणिया प.ह. सुवाणिया की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता हैः–

1– श्री बरदीचंद पिता मुतबन्ना खुमा गंवार निवासी सुवानियॉ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
267 मे	0.44	0.82
कीता– 01	0.44 हैक्टर	0.82

1– श्रीअर्जुन पिता दीपा गंवार निवासी सुवानियॉ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
267 मे	0.22	0.41
कीता– 01	0.22 हैक्टर	0.41

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
(सहायक कलक्टर)
(उपखण्ड अधिकारी)बेगूॅ

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ जिला चितौडगढ़ (राज0)
पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश

दावा संख्या :: 51 / 2020

1 बरदीचंद पिता मुतबन्ना खुमा जी गंवार निवासी सुवानियॉ तह0 बेगूँ
वादी

बनाम

1 अर्जुन पिता दीपा जी जाति गंवार निवासी सुवानिया तहसील बेगूँ
2 तहसीलदार साः भूमिधारी तहसील कार्यालय, बेगूँ जिला चितौडगढ
प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री के.सी.मंत्री की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीगण अधिवक्ता .... की अनुपस्थिती में इस वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 28.11.2024 को पीठासीन अधिकारी मनस्वी नरेश सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगूँ के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता हैः—

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा सुवाणिया प.ह. सुवाणिया की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता हैः—

1— श्री बरदीचंद पिता मुतबन्ना खुमा गंवार निवासी सुवानियॉ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
267 मे	0.44	0.82
कीता— 01	0.44 हैक्टर	0.82

1— श्रीअर्जुन पिता दीपा गंवार निवासी सुवानियॉ

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	लगान
267 मे	0.22	0.41
कीता— 01	0.22 हैक्टर	0.41

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का अलग अलग किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 28.11.2024 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया ।

(मनस्वी नरेश)
सहायक कलक्टर,
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ

क्रमांक / सरिश्ता / 2024 / 568 दिनांक :— 4.12.24

दावा संख्या 51 / 2020 व अनवान बरदीचंद बनाम अर्जुन वगै वाद अ.धा. 53 आर.टी.एक्ट में जारी अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूँ को पालनार्थ दी जाती है।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगूँ